समाचार वाणी
ख़बर जो करें असर !

नाशिक | Thursday, 24 September 2026

# CBSE का बड़ा फैसला : अब साल मे दो बार होगी 10वीं की बोर्ड परीक्षा, छात्रों को मिलेगा सुधार का मौका।

Publisher

Published on 25 Jun 2025

## 2026 से लागू होगा नया नियम, पहली परीक्षा अनिवार्य और दूसरी परीक्षा होगी वैकल्पिक ; NEP 2020 के तहत लिया गया निर्णय।

**नई दिल्ली | शिक्षा संवाददाता : केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE)** ने 10वीं के छात्रों के लिए बड़ा ऐलान किया है। साल 2026 से **कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा साल मे दो बार** आयोजित की जाएगी। इसका उद्देश्य छात्रों को तनावमुक्त परीक्षा अनुभव देना और उन्हें **बेहतर प्रदर्शन का दूसरा मौका देना है**।

**क्या है नया नियम ?**

**CBSE के परीक्षा नियंत्रक संयम भारद्वाज के अनुसार, कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षाएं अब दो चरणों मे होंगी**:

१. **पहली परीक्षा :** फरवरी में अनिवार्य रूप से आयोजित की जाएगी।

२. **दूसरी परीक्षा :** मई में होगी और यह वैकल्पिक होगी।

३. **यदि कोई छात्र पहली परीक्षा मे मिले अंकों से संतुष्ट नहीं है, तो वह दूसरी परीक्षा मे भाग लेकर अपने अंकों को सुधार सकता है**।

**क्यों लिया गया यह फैसला ?**

यह बदलाव **नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP 2020)** की सिफारिशों पर आधारित है। नीति का उद्देश्य छात्रों को फेलियर से सीखने और आगे सुधार करने का अवसर देना है, जिससे वे तनावमुक्त होकर बेहतर परिणाम दे सकें।

**CBSE का मानना है कि एक बार की परीक्षा मे छंात्र की वास्तविक क्षमता और कौशल का पूरी तरह से मूल्यांकन नहीं हो पाता।**

**किसे होगा सबसे अधिक फायदा ?**

१. **उन छात्रों को जो पहली परीक्षा मे खंराब प्रदर्शन के कारण तनाव मे अंा जाते है।**

२. **प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को रणनीतिक रूप से योजना बनाने का मौका मिलेगा।**

३. **अभिभावकों को भी बच्चों के बेहतर विकास और विकल्पों के लिए राहत मिलेगी।**

**कब से लागू होगा ?**

**CBSE** ने स्पष्ट किया है कि यह नई **परीक्षा प्रणाली वर्ष 2026** से लागू की जाएगी, यानी जो छात्र अभी **कक्षा 8** में हैं, वे इस नए नियम के तहत बोर्ड परीक्षा देंगे।

ऐसी ही देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए फॉलो करें: www.samacharwani.com

DISCLAIMER: the views/contents expressed/presented herein, within this advertorial and promotional feature are the sole and exclusive responsibility of individual clients/expert/their authorised representative/Publisher, to which effect, publication house/its representative/affiliates are not responsible/liable whatsover.